


राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.27(9)न्याय/2018 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक 21 OCT 2022


आज्ञा

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 25(121)/परि/कंप्यू/2022/24430 के क्रम में e-DAR (Electronic Detailed Accident Report) पोर्टल की प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन एवं प्रयोग के दृष्टिगत जांच किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाना है जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राईव्यूनल एवं स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी की तरफ से एक सदस्य नामित किया जाना है। विधि विभाग मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राईव्यूनल एवं स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी का प्रशासनिक विभाग है। अतः विधि विभाग की तरफ से समिति के लिए संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को सदस्य नामित किया जाता है।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना संगठन) विभाग।
4. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव